International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 04(II), October - December, 2023, pp. 81-86

वैवाहिक स्थिति में नारी शोषणः समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. मीना कुमारी*

सार

कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता रमण करते हैं। वह पति के लिए चरित्र संतान के लिए ममता, समाज के लिए शील और विश्व के लिए करूणा संजोने वाली महाकृति है। एक गुणवान स्त्री काँटेदार झाड़ी को भी सुवासित कर देती है और निर्धन से निर्धन परिवार को भी स्वर्ग बना देती है। वर्तमान भारतीय समाज का राजनीतिक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओश मगर सामाजिक– सांस्कृतिक आकांक्षा है आदर्श बहू। वैसे भारतीय मगर बेटियों हैं तो से एकदम सुरक्षित छत के नीचे, स्त्रियां शहरी मध्य वर्ग को बेटी नहीं चाहिए. वो किसी भी तरह की बाहरी (यौन) हिंसा रहनी चाहिए। हालांकि रिश्तों की किसी भी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हैं। यौन हिंसा, हत्या, आत्महत्या, दहेज प्रताड़ना और तेजाबी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विवाह को मुस्लिम वैयक्तिक विवाह कानूनों में एक कानूनी समझौता मात्र माना जाता है ये कानूनी समझौता कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इसमें विवाह को कहीं पर भी संस्कार नही माना गया है जैसा कि हिन्दू विवाह अधिनियम में माना गया है कानूनी समझौता मूल रूप से अस्थायी प्रकृति का माना गया होता है जब है और ये जन्म कि संस्कार दो आत्माओं का मिलन जन्मान्तर तक चलने वाला सम्बन्ध है इसको किसी तरह से निभाने की प्रवृन्ति हिन्दू समाज में वर्षो तक चलती रही है पर अब अनेक परिवर्तन आता जा रहा है अब न स्थायी प्रकृति का ही रह गया है से संस्कारित ही रह गया है स्थायी का का उलाहना देते हुए बाहरी प्रभावों के कारण इसमें तो ये रिश्ता पूर्ण रूप से और न ही यह पूर्ण रूप प्रकृति और संस्कारित प्रकृति महिलाओं का ज्यादातर कभी कभार पुरुष भी शोषण होता आया है। ज्यादातर महिलाओं का ही शोषण होता आया है परन्तु बदलते परिवेश और सशक्तिकरण ने मनोदशा को काफी परिवर्तित कर दिया है। धारा अपवाद यह है कि है तो पति द्वारा पत्नी अगर 15 वर्ष से 375 कम अपनी पत्नी से किया जाने का एक उम्र मात्र की नहीं वाला संभोग – बलात्कार नहीं है। गर्भवती होने, महावारी जारी होने या अस्वस्थता की स्थिति में पत्नी से उसकी मर्जी अधवा सहमति से सम्भोग का अधिकार सिर्फ उसके पति को है पत्नी की व्यक्तिगत इच्छा का कोई अर्थ नहीं। पति जब चाहे पत्नी से अपनी का पिपासा की तुष्टि कर सकता है। पुरुष को प्राप्त यह अधिकार निश्चय ही अमानवीय और पाश्विक है। इस शोध पत्र में हम विवाह की स्थिति में नारी द्वारा सहन किये जाने वाले यौन उत्पीड़न एवं नारी सशक्तिकरण का अध्ययन करेंगे।

शब्दकोशः *यौन हिंसा, दहेज प्रताड़ना, कानूनी समझौता, सशक्तिकरण, वैश्विक समस्या।*

प्रस्तावना

महिला यौन उत्पीड़न एक वैश्विक समस्या समाज में महिलाओं के साथ है। आए दिन हमारे समाज में महिलाओं के साथ हिंसा की खबरें आती रहती है। इनमें सबसे ज्यादा मामले घरेलू हिंसा के होते हैं इन मामलों में महिलाओं के प्रति हिंसा देखने को मिलती है। आए दिन हमारे समाज में महिलाओं के साथ हिंसा की खबरें

* समाजशास्त्र विभाग, एस.एस.जी. पारीक पीजी महिला महिला महाविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

आती दिन हमारे रहती है। इनमें सबसे ज्यादा मामले घरेलू हिंसा के होते हैं इन मामलों में महिलाओं के प्रति हिंसा देखने को मिलती है। आइए विस्तार से जानते हैं आखिर क्या है घरेलू हिंसा कानून किसी भी महिला से के साथ घर की चारदीवारी के अन्दर होने वाली किसी भी तरह की हिंसा मारपीट उत्पीड़न आदि के मामले घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत आते हैं। यौन उत्पीड़न के मामलों में अलग कानून है लेकिन उसे इसके साथ जोड़ा जा सकता है. महिला को ताने देना, गाली देना उसका अपमान करना उसकी मर्जी के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करना जबरन शादी के लिए बाध्य करना आदि जैसे मामले भी घरेलू हिंसा के दायरे में आते हैं। भारत में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण विश्व में महिलाएं भेदभाव असमानता दमन भौशण यौन उत्पीड़न आदि की शिकार रही हैं। लम्बे समय तक स्वयं महिलाओं में भी यह चेतना नही थी। कि उन्हें इन स्थितियों का प्रतिकार करना चाहिये। पहली बार संगठित रूप से प्रतिकार का स्वर उठा अमेरिका में जहाँ कल कारखानों में कार्यरत कामकाजी महिलाओं ने अपनी कार्य दशाओं में सुधार और समान वेतन तथा सुविधाओं के लिये आंदोलन किया और लम्बे संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त की। धीरे धीरे उनके आंदोलन की गूँज अन्य देशें में भी सुनाई दी और अमेरिकी महिलाओं की सफलता का दिन 8 मार्च, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस बन गया। भारत सहित अनेक देशों में इसे अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह का गया लेकिन महिलाओं का शोषण कम नहीं हुआ। रूप भी दे दिया लिंग के आधार पर समानता निश्चित करने के लिए व मानव अधिकारों को लागू करने के लिए योन उत्पीड़न दुर्व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेश कर काम की जगहो पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कोई भी कानून नहीं था। अतः इसका ध्यान रखते हुए मा ० उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के विरुद्ध हर तरह के भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रथाओं में से बहुत सारे उपबन्धों को भारतीय संविधान में समाविष्ट किया है। उच्चतम न्यायालय ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य ए0 आई 0 आर0 1997 सु० को 0 3011 में यह भी निर्धारित किया कि इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों को प्रत्येक काम करने के स्थानों व अन्य संस्थाओं में पालन किया जाएगा। मा0 उच्चतम न्यायालय ने इन सिद्धान्तों का प्रतिपादन अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्तियों के अन्तर्गत किया। मा0 उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर भी बल दिया कि यह मार्गदर्शक सिद्धान्त संविधान के अनुच्छेद 141 के अन्तर्गत अदालत द्वारा कानून के रूप में मान्य होंगे।

भारत में महिलाओं का यौन शोषण

प्रत्येक दिन राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड व्यूरो के अनुसार 2007 में 20737 मामले महिला यौन दर्ज हुए महिलाओं के प्रति हुए अपराधों में 11 प्रतिशत मामले बलात्कार से सम्बन्धित पाये गये। अखिल भारतीय स्तर पर यौन उत्पीड़न के मामलों में गिरावट आए है। लेकिन प्रादेशिक और जिला स्तर पर उत्पीड़न मामले में क्रमशः वृद्धि दर्ज की गयी है। महिला यौन उत्पीडन के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि आन्ध्रप्रदेश का दूसरा स्थान है। तमिलनाडु, महाराश्ट्र, हरियाणा मध्यप्रदेश जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, गुजरात मातृसत्तात्मक समाज व्यवस्था का

प्रतिनिदित्व करने वाला भारतीय राज्य केरल भी महिला यौन उत्पीड़न के मामले में शीर्ष दस में शामिल है। हमारे देश में अधिकांश स्त्रियों को विभिन्न प्रकार के यौन उत्पीड़नों का सामना करना पड़ता है और दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकतर महिलाएँ यौन उत्पीड़न को चुपचाप स्वीकार कर लेती हैं उनका मन तो चीत्कार करता है लेकिन अपनी कुछ मजबूरियों के चलते वे कुछ कह नहीं पाती हैं। एक निजी कार्यालय में अधिकारी सुमित कहती हैं कि धीरे धीरे हम महिलाएँ उसको सहन करना सीख लेती हैं, यदि हम उसे विवाद का विषय बनाएँ तो उत्पीड़न और अधिक बढ़ जाएगा यहाँ तक कि हमारे कैरियर की राह में भी कई रोडे आ सकते हैं और अगर हम विरोध करें भी तो किसके सामने। इसके अलावा परिवार के विरोध अनिवार्यतः होने वाले चरित्र हनन और अप्रिय पुलिस कार्यवाही को तो भुगतना ही पड़ता है। और इन सबके बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हमें इंसाफ मिल ही जाएगा। वस्तुतः पुलिस और कानूनी तन्त्र के प्रति कामकाजी महिलाएँ इतनी शंकालु हैं कि भी पुलिस के पास नहीं जाती है।

यौन उत्पीडन के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही बहुत महिलाओं ने अपनाया भी अन्ततः उन्हे भी निराशा हाथ लगी। विभिन्न कार्यालयों में महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। इसे आसानी से कहीं भी देखा जा सकता है। कई बार पुरुषों द्वारा महिला कर्मियों के सम्मुख इस तरह की अश्लील बातें अप्रत्यक्ष रूप से भी की जाती हैं कि महिलाकर्मी सार्वजनिक रूप से अपने आपको अपमानित महसूस करती है। पग पग पर महिलाओं को उनके महिला और भौग्य होने का अहसास कराया जाता हैं। कार्या स्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न का एक दुखःद पहलू यह है कि यदि कोई पीड़ित महिला यौन दुर्व्यवहार के प्रति आवाज बुलन्द करती है। तो नुकसान उसे ही उठाना पड़ता है। उस पर तरह– तरह आरोप लगये जाते है। और तो और विरोध की स्थिति में पुरुष सहकर्मीयों की तो बात ही छोड़िए महिला सहकर्मी भी साथ देने को तैयार नही होती है।

विवाह के बाद नारी का यौन शोषण

हर रोज महिलाओं को थप्पड़ों लातों की पिटाई अपमान, धमकियों यौन शोषण और अनेक अन्य हिंसात्मक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि उनके जीवन साथी या उसके परिवार के सदस्य उनकी हत्या कर देते हैं। इन सबके बावजूद हमें इस प्रकार की हिंसा के बारे में अधिक पता नहीं चलता है क्योंकि शोषित व प्रताड़ित महिलाएं इसके बारे में चर्चा करने से घबराती, डरती व झिझकती है। अनेक डॉक्टर्स नर्से व स्वास्थ्य कर्मचारी हिंसा को एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में पहचानने में चूक जाते हैं। आज का समय एक ऐसा समय है। जहां हम खुलकर जीने की सोचते हैं और स्वतंत्र मन से हर काम करना चाहते है। तथा यह अपेक्षा करते हैं कि इसमें परिवार व समाज हमारा साथ दे। लम्बे समय से जिस प्रकार से समाज में गरीब और अमीर के मध्य एक बड़ा अन्तर रहा है, उनमें असमानताएं रहीं है उसी प्रकार स्त्री पुरुष के मध्य भी एक बड़ी खाई रही है। स्त्रियों को सदियों से पुरुषों की अपेक्षा कम स्वतंत्रता प्राप्त रही है. उनके अधिकारों से उन्हें सदैव वंचित करने का नियम व षडयंत्र रचा जाता रहा है। स्त्री को पुरुष के बराबर अधिकार कभी नहीं दिए गए चाहे वे आर्थिक हो सामाजिक हो राजनैतिक हो अथवा सांस्कृतिक हो। राजनीतिक एवं सामाजिक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है। स्त्री हर जगह शोषण की शिकार होती दिखाई पड़ती हैं। बाल विवाह सती प्रथा दहेज प्रथा यौन उत्पीडन लुट आदि बर्बर सामाजिक दंश को स्त्री ने ही भोगा है। जिस भी स्त्री के साथ बलात्कार होता है वह कौमार्य अथवा सतीत्व भंग की क्षति ही नही सहती बल्कि गहन भावनात्मक दंश, मानसिक वेदना भय, असुरक्षा और अविश्वास प्रायः आजीवन उसका पीछा नहीं छोड़ते। कड़े और बेहतर कानून पारित हो जाने के बाद भी जघन्य दुश्कर्मों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। विवाह के बाद भी कभी कभी उन्हें अकेलेपन अनमेलपन मानसिक और शारीरिक उत्पीडन के भय का है। सामना करना पड़ता

वैवाहिक स्थिति में यौन शोषण के प्रकार

मोटे तौर पर तीन प्रकार की हिंसा लगभग महिलाओं पर की जो जाती है को कानून के दायरे में रखा गया है। ये (1) भाारीरिक हिंसा (2) यौन लैंगिक हिंसा (3) मौखिक व भावात्मक हिंसा।

शारीरिक हिंसा भारतीय दंड सहिंता की धारा 323, 324, 325, 326, 326 क 326 ख के अनुसार कोई ऐसा कार्य या व्यवहार जो इस प्रकृति को हो जिससे शरीर में दर्द हो चोट लगे या स्वास्थ्य का जान को खतरा हो या दुःखी व्यक्ति के विकास पर खतरा हो जिसमें हमला तथा आपराधिक बल का प्रयोग शामिल है भाारीरिक हिंसा कहलाती है। उदाहरणार्थ मारपीट करना, थप्पड़ मारना, ठोकर मारना, दाँत से काटना अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कार्य करना, अम्ल फेंकना या अम्ल फेंकने का प्रयास करना लात मारना, मुक्का मारना, धकेलना किसी अन्य रीति से शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुँचाना।

यौन लैंगिक हिंसा

लैंगिक सम्बन्धी कोई भी व्यवहार जो पीड़ित व्यक्ति के सम्मान को नुकसान पहुँचाता हो, उसे ग्लानि अनुभव कराता हो, उसके साथ दुर्व्यवहार करता हो। पीड़ित व्यक्ति की मर्जी या इच्छा के विरुद्ध सम्भोग करता हो तथा परिवार नियोजन के तरीके जहाँ अपनाना जरूरी हो वहाँ मना करता हो, अश्लील साहित्य या अन्य कोई तस्वीरों या सामग्री को देखने के लिए मजबूर करता हो। भारतीय दंड सहिंता की धारा 354, 354 क 354

ख, 354 ग, 354 घ, 376, 376 क, 376 ख, 376 ग, 376 घ, लैंगिक हिंसा की श्रेणी में आता है। धारा 354 के अन्तर्गत रूपन देवल बजाज बनाम के0पी0एस0गिल (ए. आई आर 1999 सु को 309) बहुत ही चर्चित बाद रहा है इस मामले में के पी एस गिल भुतपूर्व पुलिस महानिदेशक पंजाब राज्य में एक सांध्य भोज में अमियोक्ति श्रीमती रूपन देवल बजाज (आई ए एस अधिकारी) की कमर के निचले भाग को थपथपाया जिससे क्षुब्ध होकर श्री मती बजाज ने श्री गिल के विरुद्ध धारा 354/294 के अन्तर्गत उनकी लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल प्रयोग का आरोप लगाते हुए आपराधिक मुकदमा चलाया। मा उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध के लिए दोषी मानते हुए कारावास के दण्डादेश को उचित ठहराया।

मौखिक और भावनात्मक हिंसा

भावनात्मक और मौखिक हिंसा के अन्तर्गत महिला या पीड़ित का अपमान करना गालियाँ देना, चरित्र और आचरण पर दोषारोपण, पुरुष सन्तान न होने के लिए अपमान करना, बिना मर्जी के विवाह करने के लिए मजबूर करना तथा पसन्द के व्यक्ति से विवाह करने से रोकना, आत्महत्या करने की धमकी देना, मजाक उड़ाना जैसे भावना को ठेस पहुँचाने वाले व्यवहार को इस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। गौर से देखें तो तकरीबन मसला मारपीट, जबरदस्ती यौन सम्बन्ध स्थापित करना महिला व बच्चों को भरण पोषण के लिए पैसा नहीं देना, उन्हें अपने ही वेतन का उपभोग नहीं करने देना, घर से निकाल देना उसके चरित्र व कार्यों पर आक्षेप पैदा करने के लिए ताने देना तक शामिल है। जहाँ किसी स्त्री ने फोटो खींचने की सम्मति दे दी है फोटो को किसी भी अन्य को प्रसारित करने की सम्मति नहीं दी है, अगर फोटो प्रसारित दी जाती है तो अपराध 354 ग स्पष्टीकरण – 2 भारतीय दंड सहिंता के अन्तर्गत होगा।

नारी सशक्तीकरण के लिए उठाये गये कदम

समाज का स्वरूप अब बदल रहा है। नारी शिक्षित और जागरूक हो रहीं हैं। शोषण और उपेक्षा के खिलाफ लड़ने के लिए उनमें साहस और चेतना अपनी जगह बना रहा है। लेकिन अभी भी समाज के पुरूष वर्ग द्वारा स्त्री का कई स्तरों पर (भावनात्मक, भाारीरिक व मानसिक) शोषण किया व जा रहा है जिसके लिए उनकी आर्थिक विपन्नता अशिक्षा व साहस में कमी बहुत हद तक जिम्मेदार है। स्त्री को भी आज के समाज में वे सभी अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुषों को प्राप्त हैं। हम स्त्री हैं तो स्त्री को मात्र वस्तु अथवा अवसर के रूप में ना देखा जाए क्योंकि जैसा सबका समाज है वैसा ही समाज हमारा भी तो है फिर ये भेदभाव क्यों – भाास्त्रों में लिखा है – पत्नी का आधा भाग है (फिर वह स्त्री होने का दुःख लेकर क्यों झेलती है तथा शास्त्रों में में यह भी कहा गया है कि जहां नारी की पूजा होती वहां देवता रमण करते है। पर आज के देवता (तथाकथित पुरुष वर्ग) भेडिये की तरह हो गए है। जो अवसर की तलाश में घात लगाए रहते है, पूजा करने की बात तो अकल्पनीय है। प्राचीनकाल (मातृसत्तामक समाज) में नारी का हर प्रकार से सम्मान था। परन्तु उत्तर वैदिक काल दशा में उनकी दशा आज की नारी दशा से मिलती जुलती दिखाई पड़ती है। समय जैसे जैसे करवटें बदलता गया स्त्री की सामाजिक दशा और भी दयनीय होती चली गई। बौद्ध काल में भी स्त्री भोग्यामात्र ही समझी गई। मुसलमानों (मुगलों) आदि के शासनकाल में स्त्रियों की स्थिति मात्र मनोरंजन और भोगविलास की वस्तु के रुप में ही रहा है। उसके सारे सामाजिक अधिकार छीन लिए गए, यहां तक की सन्तो ने भी स्त्री मन को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नही छोड़ी। उन्होंने नारी को – माया, ठगनी, अवगुणों की खाद आदि करहर सम्बोधित किया। हिन्दी साहित्य में रीतिकाल खण्ड को देखते ही बनता है। जिसमें स्त्री के केवल मांसल रूप को ही प्रमुकता प्रदान की गई है अर्थात नारी की स्थिति मात्र सौंन्दर्य और मांसलता की मूरत में ही मान ली जाती है। परन्तु आधुनिक काल में स्त्रीवादी आंदोलन एक बड़ा रुप लेती है। जो कि स्त्री को घर की चारदिवारी व चूल्हा – चैका से निकालकर उसके अस्तित्व के प्रति सजग व सचेत रहना चाहती है। वह केवल श्रद्धा बनकर नहीं बल्कि पुरुष के साथ कदम मिलाकर चलने की और हर काम को पूर्ण मनोयोग से करने की हौसला रखती है। समाज में समानता और समता महिलाओं के सशक्तिकरण द्वारा ही सम्भव है परन्तु सशक्तिकरण से तात्पर्य यह नहीं की वे पुरुष बन जाए और ना ही ये कि पुरुषों को महिला बना दिया जाए बल्कि

पितृसत्तामकता जाए। पुरूषों तथा स्त्रियों के मध्य कर्तव्यों और अधिकारों का बटवारा एक समान रूप से होना चाहिए मगर देखा जाए तो वर्तमान में नारी मुक्ति आंदोलन की गूँज एक तरफ और नारी अस्मिता की वास्तविकता दूसरी तरफ है। हमारे विचार, हमारा हौसला ही तरह–तरह के रीति रिवाज बन्धनों को तोड़ सकता है जो स्त्री पथ की बाधक बनी हुई है। महिलाओं के इन संघर्षमयी प्रयासों ने ही पुरुषवादी समाज को महिला सशक्तिकरण हेतु विवश किया। कई वैधानिक व संस्थागत प्रयासों के द्वारा महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा प्रदान उनके व्यक्तित्व विकास अपार सम्भावनाओं के द्वार खुले है। उनके प्रति होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध उन्हें कानूनी संरक्षण दिया गया है। इन प्रयासों के द्वारा हमने समाज में महिलाओं को सम्मान व सुरक्षा देने की व्यवस्था तो कर दी लेकिन उस आधार को पीछे छोड़ दिया जहाँ से समाज बनता और समाजीकरण का प्रारम्भ होता है अर्थात् परिवार जो एक घर में बसता है और इस घर से ही महिला को महिला होने का बोध घर में कराने की प्रक्रिया का प्रारम्भ होता है। विभिन्न कानूनी प्रयासों के द्वारा महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्त जीवन देने का प्रयास किया गया किन्तु न जाने क्यों महिला और हिंसा का साथ शरीर और उसकी छाया जैसा है जो उसका साथ ही नहीं छोड़ती अर्थात् घर की चहार दीवारी में यौन शोषण की एक नयी प्रथा उजागर हुई जिसका नामकरण घरेलू यौन शोषण के रूप में किया गया।

घरेलू यौन शोषण से नारी का सशक्तीकरण

महिला के सशक्तिकरण की प्रक्रिया घर से प्रारम्भ होती है। लड़की को अगर कोख से कब्र तक हिंसा सहनी पड़ी तो वह नागरिक अधिकार से वंचित होती है। उसका स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त होने लगता है। ऐसा नही है कि घरेलू यौन शोषण पहले नहीं होता था वरन् पहले महिलायें घर में होने वाले अत्याचार हो अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेती थी किन्तु आज यह महिला सम्बन्धी कानून व महिला जागरुकता का ही परिणाम है। कि घरेलू यौन शोषण जैसी घटनाएँ का यौन शोषण जैसी घटनाऐं सामने आने लगी है। इस तरह का यौन भौषण से महिलायों को संरक्षण देना भी एक आदर्श लोकतान्त्रिक देश का कर्तव्य बनाता है। जिसके तहत भारत में घरेलू यौन भौशण से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 निर्मित कर एक गम्भीर व व्यापक समस्या है। जो विकसित एवं अविकसित दोनों तरह से राष्ट्र को प्रभावित करती है।

निष्कर्ष

अब आवश्यक हो गया है कि महिलायें अपने अधिकारों को जाने निर्भया कांड के बाद आपराधिक कानूनों अर्थात भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, दंड प्रक्रिया में परिवर्तन किये गये है जो कि सराहनीय हैं। महिला सशक्तिकरण के कारण अब महिलायें वैवाहिक स्थिति में यौन शोषण को बर्दास्त करने वाली नहीं है यह परिवर्तन स्वागत योग्य है। अपनी अस्मिता व आत्मसम्मान की रक्षा के लिए पुरुषवादी समाज के सामने महिला अपने वजूद को तलाश रही है उसकी यह खोज सदियों से चली आ रही है। वह माँ, बेटी बहन, पत्नी की इन भावनात्मक बन्दिशों से पृथक, एक स्त्री के रूप में अपनी पहचान को तलाश रही है। महिला आन्दोलन व संघर्ष का यही उद्देश्य रहा है कि उसे पुरुष के साथ जुड़ने वाले हर रिश्तों से पृथक् समाज में सम्मानीय स्थान मिले, उसे कमजोर असहाय समझकर उस पर तरस खाने बाली निगाहों से उन्हें मुक्ति मिले। इसी आत्मसम्मान को पाने के लिए जब महिलाएँ संगठित हुई तो उनके संघर्ष की कहानी का एक नया इतिहास रचा जाने लगा। आज भूमंडलीकरण के दौर में प्रगतिशीलता के नाम शोषण के नये नये आयाम समाज में स्त्री को अपना यथोचित स्थान प्राप्त करने के लिए स्वयं ही आगे आना होगा, जिसके लिए उसे शिक्षित जागरूक और स्वावलम्बी होने की दशा व दिशा का निर्माण स्वयं करना होगा। नारी तुम शक्ति का अवतार हो फिर क्यों सहती अत्याचार हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कौशिक आशा नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ जयपुर 2004,पृ. 131
2. सुधा, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधि, नई दिल्ली, 2009,पृ. 11

3. अवस्थी सुधा, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधि, नई दिल्ली, 2009.पृ. 5
4. प्रसाद दिनेश सचिव महिला चेतना ग्रामीण विकास केन्द्र हाशिये की आवाज नई दिल्ली जनवरी 2010 पृ. 37
5. अवस्थी सुधा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधि, नई दिल्ली, 2009.पृ. 31
6. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य ए0 आई 0 आर0 1997 सु0 को 0 3011
7. डॉ. संजय गर्ग (स्त्री विमर्श का कालजयी इतिहास, सामवयक प्रकाशन नई दिल्ली संस्करण 2014
8. (पत्रिका) योजना नारी सर्विकरण अंक
9. दिसंबर 2016 9. रूपन देवल बजाज बनाम 1999 सु. को 309) के० पी० एस ० गिल (ए. आई. आर.
10. भारतीय दंड संहिता दंड विधि संशोधन संशोधित। अधिनियम 2013 द्वारा
11. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 ।
12. वैवाहिक विवाद कानून सलहाकारिता और समाधान ममता सहगल अनुवाद कर्ता निर्मला शेरजंग

❖◆❖